

कार्यालय विहित प्राधिकारी/जिला कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार महवा

संख्या

दिनांक

## \* संपरिवर्तन-आदेश \*

श्री सांजिब अनुसंधान विकास समिति महवा तहसील महवा  
 के आवेदन पर उनकी खातेदारी अधिग्रहित में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2) (3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई -

- आवेदक/खातेदार/अधिकारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता सांजिब अनुसंधान विकास समिति आरंभ अदरवा, महवा
- क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है? -
- संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा -  
 (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम जहेनोली / जहेनोली / महवा  
 (ख) भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा नं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में) 75/1 रकम 0.53 हे.  
 (ग) प्रत्येक खं. नं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या व.मी. में) 3300 व.मी.
- टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
- संपरिवर्तन का प्रयोजन - राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण - आवासीय
- संदेय प्रीमियम की दर - निःशुल्क
- संचालन की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम - NIL
- चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम - NIL
- चालान को संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम - NIL
- क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम 12 के अधीन जारी किया गया है?
- अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो
- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा।  
 (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।  
 (2) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत की दी जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवाई गई प्रीमियम का धन समयहद हो जायेगा।  
 (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।  
 (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

नोट:- राष्ट्रीय राजमार्ग / S.R. व अन्य रोड के निर्माण के लिये संपरिवर्तन की जायज है।

विहित प्राधिकारी की मौहर

विहित प्राधिकारी  
 (जिला/कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)  
 महवा (हैसा) राज.

सं. 17-21

दिनांक 13/10/06

प्रतिलिपि-

- जिला कलैक्टर महवा
- ग्राम पंचायत/पटवारी हल्द्वारा जहेनोली
- आवेदक श्री सांजिब अनुसंधान विकास समिति आरंभ अदरवा, महवा




ग्राम-गहनौली तह-महवा जिला-दोसा रक-न-75/1 रकवा 0-53 है

3300 वर्ग मीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रुपान्तरण हेतु:-

स्वातेदार:- अध्यक्ष, सामाजिक अनुसंधान विकास समिति, महवा जि-दोसा

पैमाना:- 1 CM = 10 M.



*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा (वेरा) यज.

मोटा-टां = कुल 3300 वर्ग मी.  
 जिसका भूमि रुपान्तरण हेतु

D. by  
 सुभाष सिंह  
 15-2-2005  
 जी.एम.सी.ओ.  
 नकशा नंबर  
 महवा जिला-